राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4645/2019

हीरालाल गर्ग

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक/आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीमा भवन, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.एस. चौहान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्रीमती सौम्पा शर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने मुख्य रूप से यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के रूप में राज्य बीमा एवं प्रा०नि०वि० जयपुर के आदेश क्रमांक हि./संस्था/ग्रुप–1/86/56 दिनांक 14.05.1986 से अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा०नि०वि० जयपुर द्वारा तीन माह के लिए किया गया था। उसके बाद अपीलार्थी की नियुक्ति सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा०नि०वि० नागौर के आदेश संख्या 7124आर दिनांक 29.07.1987 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी। निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा०नि०वि० जयपुर के पत्रांक हि./संस्था /ग्रुप–1/829225–49 दिनांक 02.12.1987 के निर्देशानुसार अपीलार्थी को भी अन्य दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिकों के पद पर कार्यरत के साथ दिनांक 29.02.1988 से हटाने के आदेश दिये, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जोधपुर के दिनांक 29.02.1988 के स्थगन आदेश के कारण नहीं हटाया गया, तब से अपीलार्थी निरन्तर सेवा में है। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ–3 (28) कार्मिक (क–2) 85/पार्ट द्वितीय दिनांक 13.02.1991 की अनुपालना में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा०नि०वि० जयपुर के आदेश क्रमांक हि/संस्था/बीमा/गृपन/94/429 दिनांक 05.03.1991 द्वारा प्रार्थी को दिनांक 13.02.1991 से कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रंखला 950–1680 में न्यूनतम वेतन रू.950/– प्रतिमाह एवं उस पर दिये जाने वाले मंहगाई भता प्रतिमाह स्वीकृत किया गया। निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा०नि०वि० जयपुर के आदेश क्रमांक एफ–प्रथम/(ए)32/संस्था/बीमा/93/1952 दिनांक 31.03.1993 द्वारा कार्यदक्षता परीक्षा

उर्तीण करने के फलस्वरूप तुरन्त प्रभाव से कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान केवल इस हद तक प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की सेवा में प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा पेशंन उद्देश्य के लिए मानी जायें एवं अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नियमित नियुक्ति की दिनांक तक की अवधि को पेंशन के लिए Qualifing Service के रूप में जोड़ा जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 1986(1)WLN59 इस्माइल खान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि दैनिक वेतनभोगी को नियमित कार्य करने के लिए रखा गया है, वहां कर्मचारी को अस्थाई रूप से नियुक्त होना माना जा सकता है और ऐसे कर्मचारी को Casual Labour होना नहीं माना जाएगा। अतः अस्थाई कर्मचारी के रूप में किये गये कार्य को पेंशन परिलाभ के लिए Qualifing Service होना माना जा सकता है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.05.1986 द्वारा रूपये 15/– प्रति दिवस के पारिश्रमिक पर दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक 05.05.1986 से नियुक्ति प्रदान की गई थी एवं नियुक्ति आदेश में स्पष्ट अंकित था कि कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि पूर्ण कर लेने पर उनकी सेवायें स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी तथा उक्त अवधि पूर्ण करने से पूर्व भी उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी हटाया जा सकता है। इस प्रकार इन्हें समय समय पर दैनिक पारिश्रमिक पर रखा गया एवं हटाया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को पुनः आदेश दिनांक 29.07.1987 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी एवं नियुक्ति आदेश में स्पष्ट अंकित था कि अगर कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी सेवायें बिना नोटिस दिए कभी भी समाप्त कर दी जावेगी। तत्पश्चात् अपीलार्थी को दिनांक 29.02.1988 से सेवा से हटाये जाने के आदेश प्रसारित किये गये, जिसके विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के दिनांक 29.02.1988 के स्थगन आदेश के कारण इन्हें सेवा से हटाया नहीं गया। इस प्रकार ये 29.07.1988 से निरन्तर दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रहें। दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को कनिष्ठ लिपिक की वेतन का न्यूनतम वेतन दिये जाने बाबत विशिष्ठ शासन सचिव, कार्मिक (क–2)

विभाग के पत्र क्रमांक एफ.3 (28) कार्मिक/क–2/85 पार्ट–गा दिनांक 13.02.1991 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए कि दैनिक पारिश्रमिक पर कनिष्ठ लिपिक के स्पष्टतः रिक्त पदों पर दिनांक 31.03.1990 तक नियुक्त व्यक्तियों को कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रंखला का न्यूनतम वेतन दे दिया जावें। इस न्यूनतम वेतन पर उन्हें समय समय पर देय मंहगाई भत्ता भी देय होगा तथा अन्य कोई क्षतिपूर्ति भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, क्षतिपूर्ति (नगर) भत्ता आदि एवं विशेष वेतन देय होगे। इन्हे कनिष्ठ लिपिक की वेतन में दिनांक 05.03.1991 द्वारा कार्मिक विभाग के उक्त पत्र दिनांक 13.02.1991 के अनुसरण में इस विभाग में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिकों को (जिसमें अपीलार्थी का नाम भी सम्मिलित है) दिनांक 13.02.1991 से कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रंखला में 950–1680 का न्यूनतम वेतन रूपये 950/– प्रतिमाह (फिक्स) एवं उस पर समय समय पर दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं यह भी स्पष्ट किया गया कि उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भत्ता जैसे मकान किराया भत्ता, क्षतिपूर्ति (नगर) भत्ता आदि एवं विशेष वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक क–11) की अधिसूचना कमांक एफ. 3(56) कार्मिक/क–2/84 दिनांक 12.10.1992 द्वारा दिनांक 01.01.1985 से 31.03.1990 तक की अवधि में तदर्थ अथवा दैनिक मजदूरी पर नियुक्त कार्मिकों को विभागीय कार्यदक्षता परीक्षा ली जाकर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1957 के नियम 25 के उप नियम 10 के अन्तर्गत नियमित किये जाने का प्रावधान किया गया। अपीलार्थी माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में इस विभाग में दिनांक 29.07.1987 से दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थे, अतः इनकी कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 12.10.1992 के अन्तर्गत दिनांक 24.01.1993 को विभागीय कार्यदक्षता परीक्षा ली गई एवं आदेश क्रमांक 1794 दिनांक 04.03.1993 द्वारा परीक्षाफल घोषित किया जाकर इनके द्वारा उक्त परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप आदेश कमांक 1952 दिनांक 31.03.1993 द्वारा तुरन्त प्रभाव से कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस अपील को केवलमात्र पेंशन प्रयोजनार्थ प्रथम नियुक्ति की दिनांक 29.07.1987 से सेवा की गणना करते हुए Qualifing Service को गिने जाने की प्रार्थना की है। राजस्थान पेशंन नियम–1996 में अर्हकारी

(पेंशन योग्य) सेवा के सम्बन्ध में नियम–12 एवं 13 के प्रावधान निम्न प्रकार से है:–

''**12. अर्हकारी (पेंशन योग्य) सेवा का प्रारम्भ**

(क) क्षतिपूरक (कम्पनशेसन) ग्रेच्युटी के सिवाय, सरकारी कर्मचारी की सेवा पेंशन योग्य नहीं होती जब तक कि उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

(ख) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सरकारी कर्मचारी की अर्हकारी (पेंशन योग्य) सेवा उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिसको वह उस पद का कार्यभार संभालता है जिस पर उसकी प्रथम नियुक्ति की गयी है चाहे वह संस्थायी रूप से या स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई हो।

13. शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए सेवा अर्हकारी होगी

(1) किसी कर्मचारी की सेवा पेंशन के लिए तब तक अर्हकारी नहीं होगी जब तक कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की गयी हो तथा उसके कर्तव्यों (इयूटी) एवं वेतन को सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन विनियमित नहीं किया गया हो।

(2) उप–नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'सेवा' से सरकार के अधीन सेवा अभिप्रेत है जिसके लिए भुगतान राज्य की समेकित निधि में से सरकार द्वारा किया जाता है किन्तु इस सेवा में किसी गैर पेंशन योग्य स्थापन, कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज्ड) स्थापन में की गई सेवा एवं आकस्मिक निधि में से भुगतान की गई सेवा सम्मिलित नहीं होगी जब तक कि उस सेवा को उस सरकार द्वारा अर्हकारी सेवा नहीं समझा गया हो।

यह तथ्य कि किसी स्थापन या अधिकारी की लागत को पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार की ओर से वसूल करने की व्यवस्थायें की जाती हैं, इस सिद्धान्त के प्रवर्तन पर लागू नहीं होता, परन्तु यह कि वह स्थापन या अधिकारी की नियुक्ति, उस पर नियंत्रण तथा उसके लिए भुगतान सरकार द्वारा किया जाता हो।

स्थानीय निधियों, न्यास निधियों, फीसों एवं कमीशन आदि से भुगतान की गई सेवा अर्हकारी सेवा नहीं होगी।

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार से सम्बन्धित हो जिसके कि साथ राजस्थान सरकार ने पारस्परिक व्यवस्थायें कर रखी हैं, जिसे किसी ऐसी सेवा या पद पर स्थायी रूप से अन्तरित कर दिया गया हो जिस पर ये नियम लागू होते हैं, केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के अधीन संस्थायी,

स्थानापन्न, या अस्थायी रूप में की गईं सेवा, पेंशन के लिए अर्हकारी होगी :

इस उप–नियम में दी गई कोई भी बात किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जो उस सेवा या पद पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिनियुक्ति के अलावा अन्यथा प्रकार से नियुक्त किया गया हो।''

6. अतः उपरोक्त नियम–12 से स्प्ष्ट है कि अस्थाई रूप से दी गई सेवाएं भी पेशंन योग्य गिनी जा सकती है। अपीलार्थी जिस विभाग में कार्यरत था, वह कार्यप्रभारित स्थापन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, बल्कि वह नियमित स्थापन की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी से कार्य भी नियमित रूप से लिया गया था। अतः अपीलार्थी द्वारा अस्थाई रूप से दी गई सेवाओं को पेशंन प्रयोजनार्थ Qualifing Service के रूप में गिना जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 1986(1)WLN59 इस्माइल खान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय में भी यह निर्धारित किया गया है कि अस्थाई रूप से दी गई सेवाएं जो Casual Labour के रूप में नहीं दी गई है, उन्हें पेंशन प्रयोजनार्थ Qualifing Service के रूप में गिना जा सकता है। अतः हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी ने जो सेवाएं कनिष्ठ लिपिक के पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में प्रत्यर्थी विभाग में प्रथम नियुक्ति की दिनांक 29.07.1987 से प्रदान की है, उन्हें पेंशन प्रयोजनार्थ Qualifing Service के रूप में जोड़ा जा सकता है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में प्रथम नियुक्ति की दिनांक 29.07.1987 से नियमित किये जाने तक दी गई सेवाओं को पेशंन प्रयोजनार्थ Qualifing Service मानते हुए अपीलार्थी को पेंशन एवं ग्रेचुटी का लाभ प्रदान करें। अपीलार्थी के संबंध में संशोधित पीपीओ, सीपीओ एवं जीपीओ आदेश जारी किये जाए एवं अपीलार्थी को 9 प्रतिशत ब्याज वार्षिक ब्याज दर से एरियर का भुगतान भी किया जाए।

8. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता हैं।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)